KAJRI MINERALS PRIVATE LIMITED

17, NYAY MARG, COURT CIRCLE, UDAIPUR (RAJ). 313001

To
Registrar,
RERA Authority,
Jaipur.

Dated 12-02-2026

Sub:- Regarding Submission of Completion Certificates and Occupancy Certificate with regards to our Residential Project "Ghar Aangan" situated at Revenue Village Kaladwas , Udaipur (Raj.)

Respected Sir,

With due respect we would like to submit you that we have obtained **Completion Certificates and Occupancy Certificate** for Tower- 1 to 3 as follows.

Sr.no.	Tower	Name of Issuing Authority	Date	Sr.no of Completion certificate
1	Tower-3 and Tower-1	Gram Panchayat, Kaladwas	08.05.2018	Gram/2018-19/37
2	Tower-2	Gram Panchayat, Kaladwas	15.11.2019	Gram/2019-20/196

We also would like to submit you that our project while obtaining **Completion Certificates and Occupancy Certificate** of Tower-2 our project was completed in total. Therefore, we are submitting online Completion Certificate application by attaching aforesaid copy of Completion certificate for whole project.

Enclosures.
Completion certificates along with acknowledge letter mentioned in table above.

For Kajri Minerals Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

CIN: U14101RJ1996PTC013054 TELEPHONE NO. 0294-2428201
E-MAIL ID: roccompany11@gmail.com

कार्यालय ग्राम पंचायत, कलड़वास

पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर

क्रमांक / ग्रा/पं/2019-20/196 **दिनांक :** 15/11/19

श्रीमान्

कजरी मिनरल्स प्रा. लि. दिनांकः— 15.11.2019

रजि. कार्यालय—17, न्याय मार्ग,

कोर्ट सर्कल, उदयपुर (राज.)

विषयः— पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) एवं अधिवास प्रमाण पत्र (Occupancy Cetificate) प्रेषित करने बाबत्।

प्रसंगः— ग्राम पंचायत कलड़वास द्वारा खसरा संख्या 2815 मीन, 3613/2815, 2816, 2817, 3624/2818 एवं 2818मीन में दिनांक 08.11.2012 को जारी भवन अनुमति एवं दिनांक 20.12.2016 को जारी संशोधित भवन अनुमति के अन्तर्गत निर्मित भवन में भवन पूर्णता (Completion Certificate) एवं अधिवास प्रमाण (Occupancy Certificate) पत्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम कलड़वास की उक्त आराजी संख्या 2815 मीन, 3613/2815, 2816, 2817, 3624/2818 एवं 2818मीन पर भवन संख्या 2 (द्वितीय चरण में दिनांक 08.11.2012 को स्वीकृत) जिनके संशोधित मानचित्र दिनांक 20.12.2016 को ग्राम पंचायत कलडवास से जारी है। उक्त भवन के स्वीकृत संशोधित मानचित्र अनुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने बाबत दिनांक 08.10.2019 को ग्राम पंचायत में आप द्वारा निवेदन किया गया एवं मौके पर किये निर्माण के (As Built Drawings) प्रस्तुत की गई है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा खसरा संख्या 2815 मीन, 3613/2815, 2816, 2817, 3624/2818 एवं 2818मीन में दिनांक 8.11.2012 को जारी मानचित्र एवं दिनांक 20.12.2016 को जारी संशोधित मानचित्र अनुसार स्टील्ट, भूतल+9 तल तक की भवन निर्माण स्वीकृती दी गई थी।

अधिवास प्रमाण पत्र (Completion Certificate) एवं पूर्णता प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) जारी करने हेतु आपका प्रकरण पंचायत की बैठक दिनांक 21.10.2019 में प्रस्तुत किया गया, ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वीकृती के अनुसार एवं आप द्वारा प्रस्तुत As Built Drawings के अनुसार मौके पर निर्माण की पुष्टि की गई एवं आंशिक विचलन/परिवर्तन के सम्बन्ध में देय शास्ती राशि **Nil** रूपये एवं पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु देय राशि 25,000/— रूपये एवं

क्रमशः—.........2

(गजराज मेनारिया)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत—कलड़वास
पं.स. गिर्वा, जिला—उदयपुर

(हिरालाल डांगी)
सरपंच
ग्राम पंचायत—कलड़वास
पं.स. गिर्वा, जिला—उदयपुर

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अन्य बकाया राशि Nill यानि कि कुल देय राशि 25,000/– रूपये अक्षरे पच्चीस हजार रूपये जरिये चैक संख्या 537048 दिनांक 07.11.2019 ग्राम पंचायत कार्यालय, कलड़वास में जमा की जा चुकी है।

इस प्रकार उक्त भूमि पर किये गये निर्माण की नियमानुसार पुष्टि होने से एवं उक्त प्रकरण हेतु देय समस्त शास्ति एवं बाकियात वसूल कर नियमितिकरण करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र निम्न शर्तो पर जारी किया जाता है:–

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी निर्माण स्वीकृती दिनांक 08.11.2012 एवं संशोधित स्वीकृति दिनांक 20.12.2012 में वर्णित समस्त शर्तो की पालना की जावे।
2. भवन में राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. भवन में अग्निशमन प्रावधानों की व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी।
4. इस भवन के सम्बन्ध में श्रम विभाग को देय उपकर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सरपंच
(हिरालाल डांगी)
सरपंच
ग्राम पंचायत-कलड़वास
पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर
(ग्राम पंचायत, कलड़वास)
उदयपुर (राज.)

सचिव
(गजराज मेनारिया)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-कलड़वास
पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर
(ग्राम पंचायत कलड़वास)
उदयपुर (राज.)

TYPICAL FLOOR
TOWER - 5E(TOWER -2)
AS PER REVISED APPROVED
PLAN DATED 20-12-2016
& INITIALLY APPROVED ON
08-11-2012

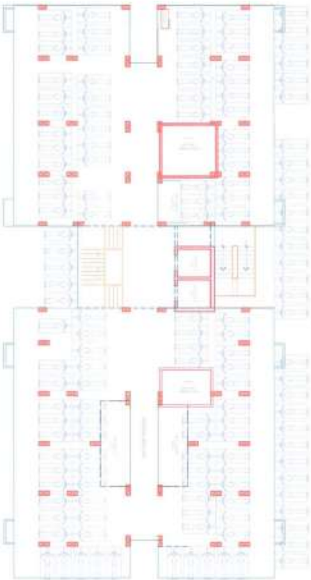

PRO. PARKING PLAN
TOWER 5E(TOWER -2)
AS PER REVISED APPROVED
PLAN DATED 20-12-2016
& INITIALLY APPROVED ON
08-11-2012

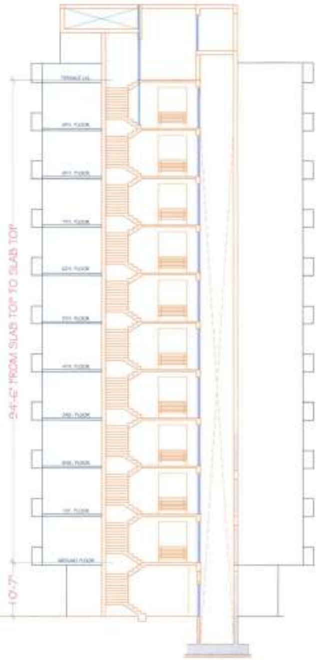

SECTION THROUGH
STAIRCASE AND LIFT

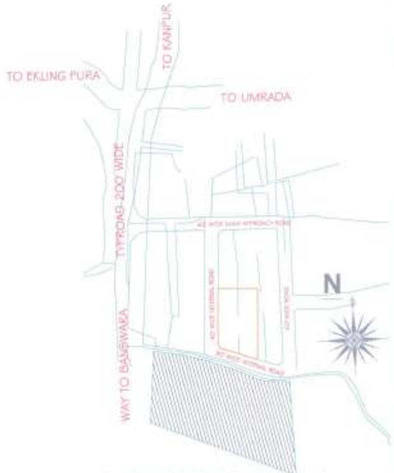

LOCATION PLAN

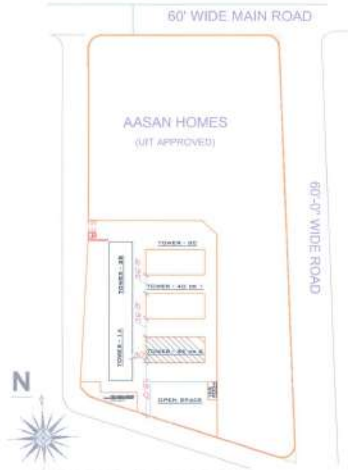

SITE PLAN(N.T.S)

TOTAL LAND AREA=279932.00 SQ.FT.

WORKING PLOT AREA(AFTER DEDUCTION OF 60' WIDE FRONT & SIDE ROAD) =222062.00 SQ.FT.

AS BUILT DRAWINGS OF RESIDENTIAL APARTMENT FOR KAJRI MINERALS PVT.LTD. ARAJI NO:2815 MEEN,$\frac{3613}{2815}$,2816,2817 $\frac{3624}{2818}$,2818 MEEN VILLAGE KALADWAS,UDAIPUR

TYPICAL ELEVATION OF TOWERS
5E-NORTH SIDE

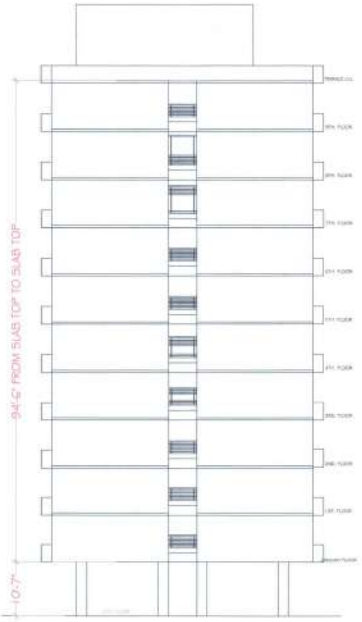

WEST SIDE ELEVATION

TOWER - 5E

TYPICAL FLOOR SLAB AREA=4939.0 SQ.FT.
MUMTY/MACHINE ROOM/WATER TANK AREA=1246.00 SQ.FT.
TOTAL SLAB AREA=6185.00 SQ.FT.

ARCHITECT

SUNIL KUMAR
B.ARCH, MCA

OWNER

(हीरालाल डांगी)
सरपंच

कार्यालय ग्राम पंचायत कलडवास

पंचायत समिति गिर्वा , जिला – उदयपुर

क्रमांक :– / ग्रापं / 2018-19/37   दिनांक :– 8/5/18

कजरी मिनरल्स प्रा. लि.
रजि. कार्यालय–17, न्याय मार्ग,
कोर्ट सर्कल, उदयपुर (राज.)

विषयः– पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) एवं अधिवास प्रमाण पत्र (OccupancyCetificate) प्रेषित करने बाबत्।

प्रसंगः– ग्राम पंचायत कलड़वास द्वारा खसरा संख्या 2815 मीन, 3613/2815, 2816, 2817, 3624/2818 एवं 2818 मीन में दिनांक 08.11.2012 को जारी भवन अनुमति एवं दिनांक 20.12.2016 को जारी संशोधित भवन अनुमति के अन्तर्गत निर्मित भवन में भवन पूर्णता (Completion Certificate) एवं अधिवास प्रमाण (Occupancy Certificate) पत्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम कलड़वास की उक्त आराजी संख्या 2815 मीन, 3613/2815, 2816, 2817, 3624/2818 एवं 2818 मीन पर निर्मित भवन संख्या 3 (प्रथम में दिनाक 08.11.2012 को स्वीकृत) एवं भवन संख्या 1 (मोकानुसार संख्या 4 में दिनांक 08.11.2012 को स्वीकृत) जिनके आंशिक संशोधित मानचित्र दिनांक 20.12.2016 को ग्राम पंचायत कलडवास से जारी है। उक्त भवन के स्वीकृत संशोधित मानचित्र अनुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने बाबत दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत में आप द्वारा निवेदन किया गया एवं मौके पर किये निर्माण के (As Built Drawings)) प्रस्तुत की गई है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा खसरा संख्या 2815 मीन, 3613/2815, 2816, 2817, 3624/2818 एवं 2818 मीन में दिनांक 8.11.2012 को जारी मानचित्र एवं दिनांक 20.12.2016 को जारी संशोधित मानचित्र अनुसार स्टील्ट, भूतल+9 तल तक की भवन निर्माण स्वीकृती दी गई थी।

अधिवास प्रमाणपत्र (Completion Certificate) एवं पूर्णता प्रमाण पत्र (OccupancyCertificate) जारी करने हेतु आपका प्रकरण पंचायत की बैठक दिनांक 05.04.2018 में प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 12.04.2018 किया गया।कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत में 18.04.2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसमें आप द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृती के अनुसार एवं

क्रमशः–.........2

सरपंच
ग्राम पंचायत-कलड़वास
पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-कलड़वास
पं.स. गिर्वा (उदयपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कलडवास

पंचायत समिति गिर्वा , जिला – उदयपुर

क्रमांक :– दिनांक :–

आप द्वारा प्रस्तुत। //Built Drawingsds अनुसार मौके पर निर्माण की पुष्टि की गई एवं ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.04.2018 के निर्णयानुसार उक्त निर्माण में पाये गये आंशिक विचलन/परिवर्तन के

सम्बन्ध में देय शास्ती राशि 248,075/– रूपये एवं पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु देय राशि 115,000/– रूपये एवं उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अन्य बकाया राशि छपस यानि कि कुल देय राशि 363,075/– रूपये अक्षरे तीन लाख तरेसठ हजार पिच्योत्तर रूपये का मांग पत्र 26 दिनांक 25.04.2018 जारी किया गया।जिसके क्रम में आप द्वारा राशि चैक संख्या 017701 दिनांक 04.05.2018. ग्राम पंचायत कार्यालय, कलड़वास में जमा की जा चुकी है।

इस प्रकार उक्त भूमि पर किये गये निर्माण की नियमानुसार पुष्टि होने से एवं उक्त प्रकरण हेतु देय समस्त शास्ति एवं बाकियात वसूल कर नियमितिकरण करते हुए ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.05.2018 के प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:–

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी निर्माण स्वीकृती दिनांक 08.11.2012 एवं संशोधित स्वीकृति दिनांक 20.12.2016 में वर्णित समस्त शर्तों की पालना की जावे।
2. भवन में राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. भवन में अग्निशमन प्रावधानों की व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी।
4. इस भवन के सम्बन्ध में श्रम विभाग को देय उपकर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत कलड़वास
पं.स. गिर्वा, जिला उदयपुर
(ग्राम पंचायत, कलड़वास)
उदयपुर (राज.)

सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कलड़वास
पं.स. गिर्वा (उदयपुर)
(ग्राम पंचायत कलड़वास)
उदयपुर (राज.)

TOWER - 3C & 4D (TOWER -1 AS PER REVISED APPROVED PLAN DATED 20-12-2016)

TYPICAL FLOOR PLAN

TOWER - 3C
PARKING PLAN

TOWER 4D (TOWER -1 AS PER REVISED APPROVED PLAN DATED 20-12-2016)

PARKING PLAN

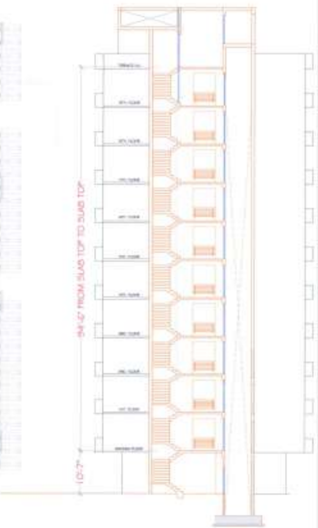

LOCATION PLAN

SITE PLAN(N.T.S)

TOTAL LAND AREA OF BOTH THE PROJECT =279861.00 SQ.FT.

TOTAL LAND AREA AFTER DEDUCTION OF 60' WIDE PROPOSED ROAD & 60' WIDE SIDE ROAD =221842.00 SQ.FT.

AS BUILT DRAWINGS OF RESIDENTIAL APARTMENT FOR KAJRI MINERALS PVT.LTD. ARAJI NO:2815 MEEN, 3613/2815, 2816, 2817, 3624/2818, 2818 MEEN VILLAGE KALADWAS, UDAIPUR

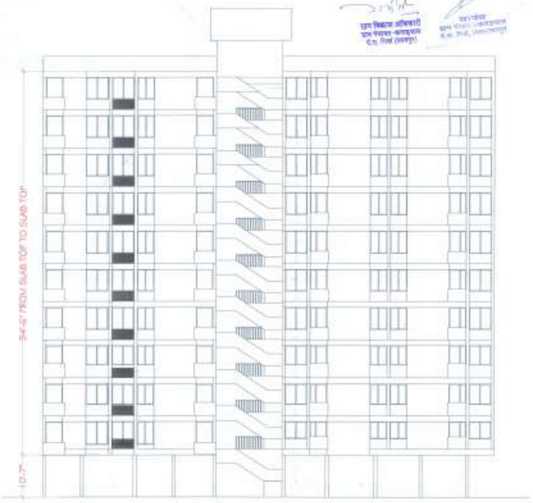

TYPICAL ELEVATION OF TOWERS 3C & 4D (TOWER-1 AS PER REVISED APPROVED PLAN DATED 20-12-2016)

NORTH SIDE

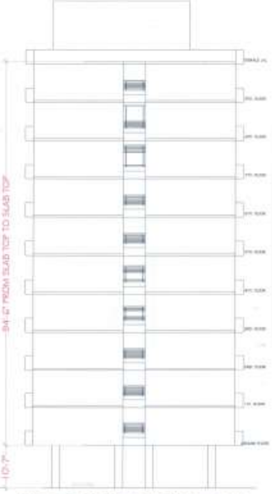

WEST SIDE ELEVATION

TOWER - 3C

TYPICAL FLOOR SLAB AREA=4939.0 SQ.FT.
MUMTY/MACHINE ROOM/WATER TANK AREA=1246.00 SQ.FT.
TOTAL SLAB AREA=6185.00 SQ.FT.

TOWER 4D(TOWER -1 AS PER REVISED APPROVED PLAN DATED 20-12-2016)

TYPICAL FLOOR SLAB AREA=4939.0 SQ.FT.
MUMTY/MACHINE ROOM/WATER TANK AREA=1246.00 SQ.FT.
TOTAL SLAB AREA=6185.00 SQ.FT.

ARCHITECT	OWNER

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज०)

क्रमांकः F.11 (   )Regin-III/Kaladwas/2017/638 दिनांकः 27/12/17

मुख्य प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक,
मण्डल कार्यालय, उदयपुर।

विषय : राजस्व ग्राम कलड़वास के आराजी संख्या 2815मी., 2816, 2817, 2818मी., 3613/2815, 3624/2818 के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 2017–18/मण्डल कार्यालय/36 दिनांक 18–12–2017 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 20–12–17) के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि

1– राजस्व ग्राम कलड़वास की आराजी नम्बर 2815मीन, 2816, 2817, 2818मीन, 3613/2815, 3624/2818 एवं अन्य आराजियात के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पुनरीक्षीत संपरिवर्तन आदेश क्रमांक प.12/3(3) राज./रुपा./2010 दिनांक 12–09–2012 से आवासीय प्रयोजनार्थ जारी किया गया था, जिससे यह भूमि आवासीय रुपान्तरित है एवं इस भूमि का आवासीय उपयोग भी पूर्व में ग्राम पंचायत की अनुमति से (जो तत्समय उनके क्षेत्राधिकार में होने से) किया जा चुका है।

2– जिला कलक्टर, उदयपुर से जारी आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित आदेश दिनांक 12–09–2012 यथावत एवं प्रभावी है। भूमि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी, लेकिन बाद में उक्त भूमि का क्षेत्राधिकार हस्तान्तरित होने से नगर विकास प्रन्यास, के अधीन आ जाने से इस भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत् EWS/LIG फ्लेट्स के निर्माण हेतु नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा स्वीकृति दिनांक 06–09–17 को प्रदान की गई है।

3– उक्त वर्णित भूमि के संबंध में न्यास द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत आदेश दिनांक 11–09–2017 को जारी किया गया है। इस आदेश में कृषि से अकृषि की अनुज्ञा दिये जाने का विवरण दिया गया है, जबकि यह भूमि पूर्व में ही जिला कलेक्टर के आदेश से आवासीय होकर उपयोग में ली जा रही है। नगर विकास न्यास के आदेश दिनांक 11–09–17 से:जिला कलक्टर के पूर्वादेश दिनांक 12–09–2012 को पुनर्लेख (Reiterate) मात्र किया गया है।

4– नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त वर्णित आवासीय भूमि के संबंध में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत् EWS/LIG फ्लेट्स के निर्माण हेतु स्वीकृति दिनांक 06–09–17 को पूर्व में जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 12–09–2012 के अन्तर्गत भूमि को आवासीय मानते हुए ही प्रदान की गई है, इसलिये अब इस भूमि के संबंध में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के स्तर पर कोई भी आवंटन पत्र एवं पट्टा जारी किया जाना वांछनीय एवं आवश्यक नही है।

5– जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पुनरीक्षीत संपरिवर्तन आदेश क्रमांक प.12/3(3)राज./रुपा./ 2010 दिनांक 12–09–2012 यथावत एवं प्रभावी रखते हुए नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के रेकर्ड में धारा 90–ए भू–राजस्व अधिनियम अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 11–09–2017 के उपरान्त भी जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 12–09–2012 के बिन्दु संख्या 11 में अंकित समस्त 14 शर्ते यथावत प्रभाव में रहेगी एवं इस भूमि पर किया जाने वाला सम्पूर्ण निर्माण मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत न्यास द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति क्रमांक F-7(   )UIT/B-PLAN/2017/434-439 दिनांक 06–09–17 की शर्तो के अनुसार होगा एवं मूल खातेदार कजरी मिनरल्स प्रा.लि. उदयपुर जिसके हक में उक्त संपरिवर्तन एवं निर्माण स्वीकृति जारी की गई है, तद्नुसार इसके लिये उतरदायी रहेगा।

6– उक्त वर्णित आवासीय भूमि पर बनाई जा रही EWS/LIG फ्लेट्स की योजना पर कोई भी वित्तीय संस्था ऋण देती है या प्रोजेक्ट अनुमोदित करती है तो न्यास को कोई भी उजर एवं एतराज नहीं है, परन्तु इसकी सूचना न्यास को देनी होगी।

Sd
(रामनिवास मेहता)
सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

क्रमांकः F.11 (   )Regin-III/Kaladwas/2017/ दिनांकः ....

प्रतिलिपि :

1– मैसर्स कजरी मिनरल्स प्रा.लि., 17 न्याय मार्ग, कोर्ट चाराहे के पास, उदयपुर को उनके पत्र दिनांक 04–12–2017 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 08–12–17) के क्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

26/12/17
सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर